

विचार बिन्दु

मनुष्य का कर्तव्य है कि वह उदार बनने से पहले त्यागी बने। -डिकेंस

ऑनलाइन गेमिंग कारोबार का प्रपंच

इन दिनों हर कहीं बस यही शिकायत मिलती है कि बच्चे स्मार्टफोन से चिपके रहते हैं। उनका मोबाइल फोन से इतना चिपका रहने का कारण भी सभी को मालूम है। वह है ऑनलाइन गेम जिन्हें खेलते हुए वे इतने मगन रहते हैं कि आस-पास की दुनिया से बेखबर हो जाते हैं। थोड़े समय बाद ऑनलाइन गेम खेलना बच्चे की लत बन जाती है जिसके परिणाम आये दिन समाचार माध्यमों के जरिये हमारे सामने आते हैं। समय के साथ यह लत मनोवैज्ञानिक व्याधि में भी तब्दील हो सकती है। इस लत के शिकार बच्चे और किशोर ही नहीं बड़े भी होते हैं। गेम खेलने के लिए ललचाने के वास्ते नये नये गेम बनाने और उन्हें चलाने का बड़ा वैश्विक कारोबार चल निकला है। कंप्यूटर गेमिंग उद्योग इस समय कमाई का तेजी से बढ़ता हुआ उद्योग बन गया है। यह बाजार की ताकतों को तो बहुत राम आ रहा है मगर मनोचिकित्सकों और समाजशास्त्रियों के लिए गंभीर चिंता का सबब बन रहा है। गेमिंग साइटें चलाने वाले बड़ी चालाकी से ग्राहक के मनोवैज्ञान पर काम करते हैं। वे यह कह कर गेम खेलने के लिए आकर्षित करते हैं कि वह मुफ्त है। गेम भी ऐसे होते हैं कि उन्हें खेलने वाला आसानी से जीत जाता है। यह जीत खेलने वाले को आगे का अधिक जटिल गेम खेलने के लिए प्रेरित करती है। जब खेलने वाला ऐसे अनेक सरल स्तर को पार कर लेता है तब उसे कहा जाता है कि उससे ऊपर का जटिल गेम खेलने के लिए अमुक राशि का भुगतान करना पड़ेगा। यह राशि इतनी कम होती है कि खेलने वाले को भुगतान करने खेलने में भी मजा आने लगता है। इस सारे खेल में गेमिंग कंपनियों को यह रणनीति रहती है कि ऑन लाइन गेम खेलने वालों की संख्या जबदस्त प्रलोभनों से बढ़ाई जाय। इसके लिए वे खूब विज्ञापन भी करते हैं। इस तरह वे ऑनलाइन गेम खेलने वालों की संख्या में अकूत इजाफा कर रहे हैं। उनका व्यवसायिक मॉडल यह है कि इतने मुफ्त खेलने वाले हों कि उनमें से थोड़ी संख्या भी पैसा देने लगे तो ऐसे ग्राहकों की संख्या ही इतनी हो जायेगी कि वे करोड़ों रुपया कमा सकेंगे। कारोबार करने वाले यह हमेशा जानते आये हैं कि भले ही प्रति ग्राहक कम मुनाफे पर काम किया जाय तो भी ग्राहकों की बढ़ी हुई संख्या से कुल मुनाफा बड़ा कमाया जा सकता है।

बहुतों को यह जान कर अचरज होगा कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग का मार्केट हर साल करीब 30 फीसदी बढ़ रहा है। इसके चलते मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में यह सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र बन गया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस उद्योग के करीब 40 करोड़ उपभोक्ता हैं। ऑन लाइन गेमिंग फ़ेडरेशन (एआईजीएफ) का आकलन है कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की सालाना आय 7,500 करोड़ रुपए से अधिक है। इस कारोबार को स्वीकार्यता दिलाने के लिए फ़ेडरेशन यह भी जोड़ देती है कि यह 2025 तक करीब 50 हजार नई नौकरियां पैदा कर सकती है। फ़ेडरेशन का कहना है कि तेजी से बढ़ रहे गेमिंग उद्योग को अपने ग्राहकों की बढ़ती संख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए गेम डेवलपर्स, आईटी सपोर्ट और बड़ी कस्टमर केयर टीमों की आवश्यकता है। इन नौकरियों के लिए कितने करोड़ लोग फांसे जायेंगे इसका अंदाजा इस कारोबार की भावी आय के अनुमानों से लगाया जा सकता है। व्यापक प्रचार अभियानों के लिए इस उद्योग ने कई क्रिकेटर्स तथा फिल्मों नायकों की सेवाएँ ली हैं। अपने पसंदीदा क्रिकेटर या सिने स्टार को जब लोग किसी पसंदीदा गेम का प्रचार करते देखते हैं तो वे उसे आजमाना भी चाहते हैं। टीवी चैनलों पर ऐसे विज्ञापनों से समाजशास्त्री खासे चिंतित हैं। कुछ क्षेत्रों से यह मांग भी उठने लगी है कि ऑनलाइन गेमिंग जो उनकी दृष्टि में जुआ है के कारोबार पर रोक लगनी चाहिए।

भारत में इस तरह के क़ानून बनाना कभी आसान नहीं रहा है। इंटरनेट से संबंधित कोई भी कानून केंद्र सरकार बना सकती है, लेकिन गैंबलिंग यानी जुए से संबंधित क़ानून बनाने का काम राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऑनलाइन गेमिंग और जुए पर भारतीय संसद कोई क़ानून तभी बना

सकती है, जब सारे राज्य इस पर सहमत हो जायें। मगर दिक्कत ये है कि गैंबलिंग से संबंधित क़ानून इंटरनेट पर लागू किए जाने हैं, ऐसे में इस बारे में क़दम उठाएगा कौन? केंद्र सरकार या राज्य सरकारें? मगर दोनों में से कोई भी क़दम नहीं उठा रहा है।

सकती है, जब सारे राज्य इस पर सहमत हो जायें। मगर दिक्कत ये है कि गैंबलिंग से संबंधित क़ानून इंटरनेट पर लागू किए जाने हैं, ऐसे में इस बारे में क़दम उठाएगा कौन? केंद्र सरकार या राज्य सरकारें? मगर दोनों में से कोई भी क़दम नहीं उठा रहा है।

भारत में इस तरह के क़ानून बनाना कभी आसान नहीं रहा है। इंटरनेट से संबंधित कोई भी कानून केंद्र सरकार बना सकती है, लेकिन गैंबलिंग यानी जुए से संबंधित क़ानून बनाने का काम राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऑनलाइन गेमिंग और जुए पर भारतीय संसद कोई क़ानून तभी बना सकती है, जब सारे राज्य इस पर सहमत हो जायें। मगर दिक्कत ये है कि गैंबलिंग से संबंधित क़ानून इंटरनेट पर लागू किए जाने हैं, ऐसे में इस बारे में क़दम उठाएगा कौन? केंद्र सरकार या राज्य सरकारें? मगर दोनों में से कोई भी क़दम नहीं उठा रहा है।

भारत में इस तरह के क़ानून बनाना कभी आसान नहीं रहा है। इंटरनेट से संबंधित कोई भी कानून केंद्र सरकार बना सकती है, लेकिन गैंबलिंग यानी जुए से संबंधित क़ानून बनाने का काम राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऑनलाइन गेमिंग और जुए पर भारतीय संसद कोई क़ानून तभी बना सकती है, जब सारे राज्य इस पर सहमत हो जायें। मगर दिक्कत ये है कि गैंबलिंग से संबंधित क़ानून इंटरनेट पर लागू किए जाने हैं, ऐसे में इस बारे में क़दम उठाएगा कौन? केंद्र सरकार या राज्य सरकारें? मगर दोनों में से कोई भी क़दम नहीं उठा रहा है।

भारत में इस तरह के क़ानून बनाना कभी आसान नहीं रहा है। इंटरनेट से संबंधित कोई भी कानून केंद्र सरकार बना सकती है, लेकिन गैंबलिंग यानी जुए से संबंधित क़ानून बनाने का काम राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऑनलाइन गेमिंग और जुए पर भारतीय संसद कोई क़ानून तभी बना सकती है, जब सारे राज्य इस पर सहमत हो जायें। मगर दिक्कत ये है कि गैंबलिंग से संबंधित क़ानून इंटरनेट पर लागू किए जाने हैं, ऐसे में इस बारे में क़दम उठाएगा कौन? केंद्र सरकार या राज्य सरकारें? मगर दोनों में से कोई भी क़दम नहीं उठा रहा है।

भारत में इस तरह के क़ानून बनाना कभी आसान नहीं रहा है। इंटरनेट से संबंधित कोई भी कानून केंद्र सरकार बना सकती है, लेकिन गैंबलिंग यानी जुए से संबंधित क़ानून बनाने का काम राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऑनलाइन गेमिंग और जुए पर भारतीय संसद कोई क़ानून तभी बना सकती है, जब सारे राज्य इस पर सहमत हो जायें। मगर दिक्कत ये है कि गैंबलिंग से संबंधित क़ानून इंटरनेट पर लागू किए जाने हैं, ऐसे में इस बारे में क़दम उठाएगा कौन? केंद्र सरकार या राज्य सरकारें? मगर दोनों में से कोई भी क़दम नहीं उठा रहा है।

भारत में इस तरह के क़ानून बनाना कभी आसान नहीं रहा है। इंटरनेट से संबंधित कोई भी कानून केंद्र सरकार बना सकती है, लेकिन गैंबलिंग यानी जुए से संबंधित क़ानून बनाने का काम राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऑनलाइन गेमिंग और जुए पर भारतीय संसद कोई क़ानून तभी बना सकती है, जब सारे राज्य इस पर सहमत हो जायें। मगर दिक्कत ये है कि गैंबलिंग से संबंधित क़ानून इंटरनेट पर लागू किए जाने हैं, ऐसे में इस बारे में क़दम उठाएगा कौन? केंद्र सरकार या राज्य सरकारें? मगर दोनों में से कोई भी क़दम नहीं उठा रहा है।

भारत में इस तरह के क़ानून बनाना कभी आसान नहीं रहा है। इंटरनेट से संबंधित कोई भी कानून केंद्र सरकार बना सकती है, लेकिन गैंबलिंग यानी जुए से संबंधित क़ानून बनाने का काम राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऑनलाइन गेमिंग और जुए पर भारतीय संसद कोई क़ानून तभी बना सकती है, जब सारे राज्य इस पर सहमत हो जायें। मगर दिक्कत ये है कि गैंबलिंग से संबंधित क़ानून इंटरनेट पर लागू किए जाने हैं, ऐसे में इस बारे में क़दम उठाएगा कौन? केंद्र सरकार या राज्य सरकारें? मगर दोनों में से कोई भी क़दम नहीं उठा रहा है।

भारत में इस तरह के क़ानून बनाना कभी आसान नहीं रहा है। इंटरनेट से संबंधित कोई भी कानून केंद्र सरकार बना सकती है, लेकिन गैंबलिंग यानी जुए से संबंधित क़ानून बनाने का काम राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऑनलाइन गेमिंग और जुए पर भारतीय संसद कोई क़ानून तभी बना सकती है, जब सारे राज्य इस पर सहमत हो जायें। मगर दिक्कत ये है कि गैंबलिंग से संबंधित क़ानून इंटरनेट पर लागू किए जाने हैं, ऐसे में इस बारे में क़दम उठाएगा कौन? केंद्र सरकार या राज्य सरकारें? मगर दोनों में से कोई भी क़दम नहीं उठा रहा है।

भारत में इस तरह के क़ानून बनाना कभी आसान नहीं रहा है। इंटरनेट से संबंधित कोई भी कानून केंद्र सरकार बना सकती है, लेकिन गैंबलिंग यानी जुए से संबंधित क़ानून बनाने का काम राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऑनलाइन गेमिंग और जुए पर भारतीय संसद कोई क़ानून तभी बना सकती है, जब सारे राज्य इस पर सहमत हो जायें। मगर दिक्कत ये है कि गैंबलिंग से संबंधित क़ानून इंटरनेट पर लागू किए जाने हैं, ऐसे में इस बारे में क़दम उठाएगा कौन? केंद्र सरकार या राज्य सरकारें? मगर दोनों में से कोई भी क़दम नहीं उठा रहा है।

भारत में इस तरह के क़ानून बनाना कभी आसान नहीं रहा है। इंटरनेट से संबंधित कोई भी कानून केंद्र सरकार बना सकती है, लेकिन गैंबलिंग यानी जुए से संबंधित क़ानून बनाने का काम राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऑनलाइन गेमिंग और जुए पर भारतीय संसद कोई क़ानून तभी बना सकती है, जब सारे राज्य इस पर सहमत हो जायें। मगर दिक्कत ये है कि गैंबलिंग से संबंधित क़ानून इंटरनेट पर लागू किए जाने हैं, ऐसे में इस बारे में क़दम उठाएगा कौन? केंद्र सरकार या राज्य सरकारें? मगर दोनों में से कोई भी क़दम नहीं उठा रहा है।

भारत में इस तरह के क़ानून बनाना कभी आसान नहीं रहा है। इंटरनेट से संबंधित कोई भी कानून केंद्र सरकार बना सकती है, लेकिन गैंबलिंग यानी जुए से संबंधित क़ानून बनाने का काम राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऑनलाइन गेमिंग और जुए पर भारतीय संसद कोई क़ानून तभी बना सकती है, जब सारे राज्य इस पर सहमत हो जायें। मगर दिक्कत ये है कि गैंबलिंग से संबंधित क़ानून इंटरनेट पर लागू किए जाने हैं, ऐसे में इस बारे में क़दम उठाएगा कौन? केंद्र सरकार या राज्य सरकारें? मगर दोनों में से कोई भी क़दम नहीं उठा रहा है।

भारत में इस तरह के क़ानून बनाना कभी आसान नहीं रहा है। इंटरनेट से संबंधित कोई भी कानून केंद्र सरकार बना सकती है, लेकिन गैंबलिंग यानी जुए से संबंधित क़ानून बनाने का काम राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऑनलाइन गेमिंग और जुए पर भारतीय संसद कोई क़ानून तभी बना सकती है, जब सारे राज्य इस पर सहमत हो जायें। मगर दिक्कत ये है कि गैंबलिंग से संबंधित क़ानून इंटरनेट पर लागू किए जाने हैं, ऐसे में इस बारे में क़दम उठाएगा कौन? केंद्र सरकार या राज्य सरकारें? मगर दोनों में से कोई भी क़दम नहीं उठा रहा है।

बच्चों पर भारी पड़ता बस्ते का बोझ

यह हमारी शिक्षा व्यवस्था का ही कमाल है कि बच्चों पर पढ़ाई के बोझ से ज्यादा बस्ते का बोझ होता जा रहा है। स्कूलों में बस्ते का बोझ दिन-प्रतिदिन ज्यादा ही होता जा रहा है जबकि 16 साल पहले ही तमिलनाडु सरकार ने बस्ता हल्का करने का नियम बना दिया था। इसके लिए तमिलनाडु सरकार ने कक्षाओं के हिसाब से बस्ते का वजन तय किया था तो बाद में मद्रास हाईकोर्ट ने भी मई 2018 में इन नियमों को लागू करने के निर्देश दिए थे। हालांकि बस्ते के बढ़ते बोझ को कम करने की चिंता सभी को रही है यही कारण है कि एनसीईआरटी ने भी 2018 में ही देश भर के प्राइवेट स्कूलों में इन नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए पर आज भी वही ढाक के तीन पात वाली कहानत चरितार्थ हो रही है। एनसीईआरटी के विहार में मार्च महिने में किए गए सर्वे के जो परिणाम आए हैं कमोबेश वही हालात समूचे देश के हैं। बच्चे पढ़ाई के बोझ से ज्यादा बस्ते के बोझ से त्रस्त हैं। विहार में कक्षा एक से 12 वीं तक के बच्चों के बस्ते के बोझ का अध्ययन किया गया तो सामने आया कि बच्चों को तीन से चार किलो अधिक वजन लेकर जाना पड़ता है। दूसरी बारहवीं

के बच्चों के स्कूल बैग का वजन दस से 12 किलो तक हो जाता है। इसका दुस्रभाव सीधे सीधे बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। बच्चों की रीढ़ की हड्डी पर असर पड़ने के साथ ही उनके पोस्चर पर प्रभाव पड़ने लगा है। आदर्श स्थिति यह है कि बच्चे के वजन का 10 प्रतिशत वजन ही स्कूल बैग का वजन होना चाहिए पर ऐसा ही नहीं रहा है। इसके लिए स्कूलों को अपने सिस्टम में सुधार करना होगा।

दरअसल बच्चों को स्कूल आते समय कितनी किताबें व नोटबुक लाना चाहिए यह स्कूल तय नहीं कर पा रहे हैं। एक समय था जब बच्चों को स्कूल में ही पीने का पानी मिल जाता था पर करीब एक लीटर की पानी की बोटल और लंच बॉक्स का बोझ तो इसलिए बोझ नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह बच्चे के लिए जरूरी है। पर किताबों और नोटबुक के बोझ को आसानी से कम किया जा सकता है। स्कूल यदि यह तय कर ले कि अमुक दिन यह किताब लानी है तो दूसरी और बच्चों को स्कूल में किताबों को शेयर करने की आदत डाल कर भी समस्या का कुछ समाधान हो सकता है। इसी तरह से सभी विषयों की नोट बुक के स्थान पर बच्चों को एक या दो नोट बुक या



डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

खाली कागज लाने की आदत डाली जाए तो उससे भी बस्ते का बोझ काफी हद तक कम हो सकता है। इसके अलावा केन्द्रीय विद्यालयों की तर्ज पर लॉकर सुविधा हो तो भी बच्चे स्कूल में किताब रख कर जा सकते हैं। यह कोई नए सुझाव या नई बात नहीं है अपितु कमोबेश एनसीईआरटी के सुझावों में यही कुछ बातें हैं।

हमें बच्चों को पढ़ाई और स्वास्थ्य दोनों में ही तालमेल बैठाना होगा। स्कूल बैग के बोझ को लेकर बच्चे और पैरेंट्स दोनों ही चिंतित हैं तो दूसरी ओर

शिक्षाविद और मनोविज्ञानी भी इसे लेकर गंभीर हैं। सरकार द्वारा भी इसे लेकर गंभीर चिंतन मनन होता है पर नतीजा वहाँ का वहाँ बना हुआ है। होने यह तक लगा है कि पीठ पर बस्ते के बोझ के चलते बच्चों की पीठ का अनावश्यक झुकाव बढ़ता जा रहा है तो स्पाइनेल प्रोब्लम आम होती जा रही है यह अलग बात है। बच्चे तो बच्चे बच्चों के परेन्ट्स को भी स्कूल बैग उठाते हुए पसीना आ जाता है तो इसकी गंभीरता को आसानी से समझा जा सकता है। एक समय था जब रफ नोटबुक मल्टीपरपज नोटबुक होती थी। इस रफ नोटबुक को अधिक उपयोगी बनाने की दिशा में चिंतन कर बस्ते की नोटबुकों के बोझ का काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसी तरह से टाइम टेबल इस तरह से तैयार किया जाए ताकि पीरियड्स की किताबों और बस्ते के वजन में संतुलन बनाया जा सके। एक समय था जब कार्टिंग, अल्फावेट, ककहरा आदि की खूली कक्षाएँ होती थीं और बच्चों को बोल-बोल कर रटाया जाता था। इस तरह के प्रयोग के पीछे वैज्ञानिक कारण भी रहा है। ऐसे में कुछ विषयों की कक्षाएँ दिन विशेष को इस तरह से भी आयोजित करने पर विचार किया

जा सकता है। पहले शनिवार को आधे दिन लगभग इसी तरह की खूली कक्षाएँ व रचनात्मक गतिविधियाँ होती थीं। आज कितने स्कूलों में शनिवार को यह होता है, विचारणीय है। हालात साफ-साफ हैं। हमें बच्चों के स्कूल बैग के बोझ के साथ साथ बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी सजग होना पड़ेगा। पहले चरण में यदि एनसीईआरटी के अनिवार्य आदेशों, दिशा-निर्देशों और सुझावों को ही ईमानदारी से लागू कर दिया जाए तो समस्या का काफी हद तक हल निकल सकता है। प्राइवेट स्कूलों को भी इस दिशा में आगे आकर सरकार के सामने ठोस प्रस्ताव रखने चाहिए ताकि समस्या का समाधान खोजा जा सके। आखिर बच्चे राष्ट्र की धरोहर हैं और उनकी शारीरिक और मानसिक स्थितियों को हमें समझना होगा और कोई ना कोई व्यावहारिक हल खोजना होगा ताकि पढ़ाई और बस्ते के बोझ के बीच एक समन्वय बन सके। नया शिक्षा सत्र आरंभ हो रहा है कमोबेश एनसीईआरटी की गाइड लाइन को तो लागू किया ही जा सकता है।

- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा (वरिष्ठ लेखक)

प्रशासन की मुस्तेदी के बावजूद देवली में अवैध तौर पर शराब का कारोबार पनप रहा

देवली, (निर्स)। क्षेत्र में सरकारी तंत्र के जिम्मेदार प्रशासन की मुस्तेदी के बीच अवैध तौर पर शराब का कारोबार पनप रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि गडहोल सरकार की बनाई गई आबकारी नीति यहाँ सांठ-गांठ के फेरे में पूरी तरह फेल हो गई है। ऐसे में संबंधित विभाग एवं पुलिस विभाग के तैनात अधिकारी शराब की अवैध ब्रांचों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं।

विकटवर्ती कुचल वाडा माताजी ग्राम पंचायत और ऊंचा ग्राम पंचायत (जिला भीलवाडा) क्षेत्र में एक-एक शराब की दुकानें आवंटित की गई हैं। इनके बीच शराब की अवैध रूप से अनेक ब्रांचें संचालित हो रही हैं। उक्त अवैधानिक गतिविधियों की जानकारी आबकारी विभाग एवं पुलिस को लंबे समय से मिलने के बाद भी दोनों विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शराब माफिया के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होने पर यहाँ अवैध शराब संरक्षण का बड़ा खेल चल रहा है। यहाँ हनुमान नगर थाना क्षेत्र में शराब की अवैध ब्रांचों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होने से क्षेत्रवासियों में राज्य सरकार की आबकारी नीति पर से भरोसा उठता जा रहा है। आबकारी विभाग के अधिकारी और पुलिस अधिकारी आबकारी नीति



क्षेत्र में अवैध रूप से शराब की अनेक ब्रांच संचालित हो रही हैं।

की पालना कराने में पूरी तरह नाकाम होते चले आ रहे हैं। यहाँ दोनों ही महकमे के अधिकारियों की अनदेखी के कारण भीलवाडा जिले के कुचल वाडा पंचायत और ऊंचा पंचायत क्षेत्र में चपे-चपे पर अवैध रूप से शराब बेचे जाने की ब्रांचें लगी हुई हैं। यहाँ पनप रहे ऐसे हालातों की जानकारी जिला आबकारी अधिकारी लोकेश जोशी और जहाजपुर सफिल पुलिस उपाधीक्षक महावीर शर्मा तक पहुंचाई गई है परंतु उक्त अधिकारियों से अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो सकी। यहाँ बने ऐसे हालातों के बीच बेखोफ शराब माफिया आबकारी नीति का उल्लंघन करते हुए पुलिस की मुस्तेदी को टेंगा दिखा रहे हैं। शराब की

अवैध ब्रांच को लेकर मामला यह भी जानकारी में आया है कि ऊंचा, मोरला चौराहा रोड पर स्थित निजी जानाना अस्पताल के करीब अवैध तौर पर शराब बेचने की शिकायत मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल पर भी दी गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल पर शिकायत दिए जाने के बाद समाधान हेतु संपर्क पोर्टल विभाग ने जाहजपुर पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय को अवैध शराब बिक्री रोकने की कार्रवाई करने के लिए सूचित किया था परंतु जानाना हॉस्पिटल के पास अवैध रूप से शराब बेचे जाने के मामले में पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस कारण हालात ज्यों के त्यों ही बने हुए हैं।

जान से मारने की धमकी देकर सरपंच ने एक परिवार को गांव से निकाला

डूंगरपुर, (निर्स)। जिले की ग्राम पंचायत पाडली गुजरेश्वर के सरपंच पर एक परिवार को गांव से बाहर करने और जान से मारने की धमकियां देने के आरोप का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने इसे लेकर एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है, फिलहाल पुलिस पूरे घटना को लेकर जांच कर रही है।

चौरासी थाना क्षेत्र के पाडली गुजरेश्वर गांव के गडरोडा निवासी जितेंद्र कुमार ने एसपी को परिवार सौंपकर घटना के बारे में बताया। जितेंद्र कुमार ने बताया कि गांव के तालाब के पास उसका पुरतैनी खेत है। गांव का सरपंच लीलाराम गमेती और उसका सहयोगी नारायणलाल गमेती खेत पर कब्जा करने के लिए पिछले 4 सालों से उनके परिवार को परेशान कर रहे हैं। आए दिन जान से मारने की धमकियां देते हैं।

26 जून की रात को भी करीब 11 बजे सरपंच बड़ी संख्या में सहयोगियों के साथ उनके घर आया। उसके परिवार को गांव से बेदखल करने का फैसला सुनाया। पीड़ित परिवार के विरोध करने पर गांव से निकाल देने और सभी को

■ पीड़ित परिवार ने एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई

■ पूरे घटनाक्रम की रिकॉर्डिंग भी पाड़ित ने एसपी को पेश की

जान से मार देने की धमकियां दी। इसके बाद से परिवार डरा और सहमा हुआ है। पूरे घटनाक्रम की रिकॉर्डिंग भी पाड़ित ने एसपी को पेश की है। साथ ही बताया है कि आरोपी धनबल के कारण कहीं भी कार्रवाई नहीं होने देते हैं और उनके परिवार को जान का खतरा बना हुआ है। साथ ही आरोपियों के बाहुबली होने से गांव में कोई भी उनके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। पीड़ित परिवार ने मामले में जानमाल की सुरक्षा के साथ आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है।

देवयानी सरोवर से सिवानिया तक बारिश के पानी का रास्ता जाम

सांभरझील, (निर्स)। यहाँ नावां रोड की तरफ देवयानी सरोवर में बारिश के पानी का बना प्राकृतिक रास्ता कई वर्षों से कचरे के ढेर में डब चुका है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब डेढ़ दशक पहले पचास लाख रूपये खर्च कर बनवायी गयी पक्की कैनाल आधे रास्ते तक ही बन सकी वह भी अब कचरे से अटी पड़ी है। बारिश के पिछले कई दौर निकल चुके लेकिन प्रशासन का नकारा सिस्टम इस दिशा में काम करने का इच्छुक नहीं है। देवयानी सरोवर प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शुमार है। इसमें वर्ष 2012 के बाद से तीन चार दफा यहाँ जन सहयोग से जारूक लोगो की टीमा ने देवयानी सरोवर के दूसरी तरफ से जमा बारिश के पानी को लिफ्टिंग कर भरने का कारनामा किया था। यह बताना जरूरी है कि देवयानी सरोवर में बारिश के पानी के लिये बनी हुयी प्राकृतिक सिरे अब बंद पडी है। सरकार करोड़ों रूपये खर्च करके भी देवयानी सरोवर



सांभर देवयानी के उत्तर दिशा की लोगों की ओर से एक वर्ष पहले बनायी गयी कच्ची कैनाल अब सिवानिया तक बंद पड़ी है।

में एक बूंद पानी तक नहीं पहुंचा सकी। लिखने योग्य है कि सरकार के आला तकनीकी अधिकारियों ने भी देवयानी सरोवर का मौका मुआयना किया लेकिन आज तक उनकी भी यह समझ

में नहीं आ सका है कि देवयानी सरोवर में बारिश का पानी कैसे पहुंचाया जाये। देवयानी सरोवर के उत्तर दिशा की तरफ से बने कच्चे रास्ते को ही यहाँ के लोगों ने कैनाल का रूप दिया लेकिन

प्रशासन के स्तर से ऐसा कोई आज तक काम नहीं हो सका जिससे इस कैनाल को स्थायी रूप दिया जा सके। बारिश के मौसम में इस कच्ची कैनाल में इतना बारिश का पानी जमा होता है कि

■ साफ सफाई का अभाव, प्रशासन की अनदेखी

■ बारिश के पानी को लिफ्ट कर तीन बार लोगों ने हीरा था कुण्ड

देवयानी सरोवर में आगामी दो वर्षों तक पानी स्टोरेज किया जा सकता है लेकिन इस दिशा में शासन व प्रशासन की ओर से आज भी कोई कवायद नहीं की गयी है। गतवर्ष बारिश के पानी को लिफ्टिंग कर भरवाया गया था, उसका स्तर भी इतना कम हो गया है कि हजारों की संख्या में महलियों का जीवन संकट में पड़ने से इंकार नहीं किया जा सकता है।



राशिफल

बुधवार 29 जून, 2022

आषाढ मास, कृष्ण पक्ष, अमावस्या, बुधवार, विक्रम संवत् 2079, आर्द्रा नक्षत्र रात्रि 10:08 तक, वृद्धि योग प्रातः 8:44 तक, नाग करण प्रातः 8:22 तक, चन्द्रमा आज मिथुन राशि में संचार करेगा।

पंडित अनिल शर्मा

मिथुन, मंगल-मेघ, बुध-वृष, गुरू-मीन, शुक्र-वृष, शनि-कुम्भ, राहु-मेघ, केतु-तुला राशि में।

कुमार योग दिन 10:08 से सूर्योदय तक है। आज आषाढी अमावस्या, देव कार्य अमावस्या है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:05 तक। शुभ 10:47 से 12:30 तक, कर 3:55 से 5:38 तक, लाभ 5:38 से सूर्यास्त तक।

राहुकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 5:40, सूर्यास्त 7:20



मेघ

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यवसायिक कार्यों में प्रगति होगी और व्यवसायिक आय में वृद्धि होगी।



तुला

व्यवसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटक हुए कार्य बन्दे लगेगा। नौकरों/शिपायियों को भागदंड से राहत मिलेगी। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।



वृष

आर्थिक कारणों से अटक हुए कार्य बन्दे लगेगा। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय के नवीन स्रोत सामने आएंगे। व्यवसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।



वृश्चिक

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। बनते कार्यों में विघड़ने का भय है। शुभ कार्यों में व्ययधान सामने आ सकते हैं। यात्रा में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।



मिथुन

व्यवसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करो। व्यवसायिक कार्य शीघ्र/सुगमता से बन्दे लगेगा। व्यवसायिक प्रतिष्ठ बढेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यवसायिक खर्च पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा।



धनु

परिवार में आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यवसायिक संपर्क बनेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



कर्क

व्यक्तिगत कारणों से मन में असंतोष बना रहेगा। अनगल कार्यों में समय खराब हो सकता है। अनावश्यक धन खर्च होगा। आर्थिक मामलों में परेशानी अभी यथावत बनी रहेगी।



मकर

घर-परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। अटक हुए कार्य सुगमता से बन्दे लगेगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यवसायिक स्थिति ठीक रहेगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा।



सिंह

आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। संभावित खोत से धन प्राप्त होगा। व्यवसायिक कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। व्यवसायिक सुविधाएं बढेगी।



कुंभ

व्यवसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। परिचितों के सहयोग से व्यवसायिक अडचन दूर होने लगेगा। आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।



कन्या